न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील

संख्याः—108/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/108)

1. लाला पुत्र श्री छोगा
2. उगमा पुत्र श्री छोगा
3. नाथू पुत्र श्री छोगा समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम डोडीयाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन, जिला अजमेर।
2. सायरी पुत्री छोगा जाति रेगर निवासी ग्राम डोडीयाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन, राजस्व वाद संख्या 46/2015

उपस्थितः—

1. श्री राघवेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री तेजसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01

निर्णय

दिनांकः—21.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 46/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डोडीयाना प0ह0 डोडीयाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर के जमाबंदी संवत् 2069/72 के खाता संख्या नया 543 पुराना 507 के खसरा 880/2060 रकबा 0.81 है0 जो वर्किंग जमाबंदी में अंकित पूर्व खसरा संख्या 1410/2 से बने है जो वादीगण के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है बिना किसी सक्षम आदेश एवं आधार के राजस्व रेकार्ड में सरकारी दर्ज किया गया है जिसकी आड में राजस्व अधिकारी वादीगण को बेदखल करने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

आगादा है जिस कारण अपीलार्थी/वादीगण द्वारा एक वाद विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 88 एवं 188, 20 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन जिला अजमेर के समक्ष वास्ते इंद्राज दुरूस्ती घोषणा ख्यातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया जिसे दिनांक 29.7.2015 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को समन जारी करने पर विपक्षीगण उपस्थित आए इसके बाद दिनांक 2.6.2016 तक वाद जवाब हेतु नियत रहा तथा दिनांक 2.6.2016 को पत्रावली को नियत दिनांक 8.6.2016 से पूर्व नियत कर वादीगण को बिना सुचित किए लोक अदालत में पेश किया गया तथा उसी दिवस को वादीगण कि सहमती के बिना मात्र जवाब के आधार उपखण्ड अधिकारी पीसांगन जिला अजमेर ने अपने नॉन स्पीकिंग आदेश दिनांक 2.6.2016 से अचानक बिना विचारण के तथा बिना तनकी निर्मित किए एवं विधि विधान प्रक्रिया के विपरीत जाकर साक्ष्य लिए बिना पत्रावली का परीक्षण किए बिना अपना निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.6.2016 को जारी करते हुए वाद वादीगण खारिज फरमा दिया। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 46/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन अजमेर द्वारा दिनांक 2.6.2016 को पत्रावली को नियत दिनांक 8.6.2016 से पूर्व नियत कर वादीगण को बिना सुचित किए लोक अदालत में पेश कि गई जिसमें प्रतिवादी/सरकार कि ओर से जवाब पेश किया गया तथा उसी दिवस को वादीगण कि सहमती के बिना मात्र प्रतिवादी के जवाब के आधार निर्णय पारित कर दिया जबकि लोक अदालत में निर्णय सिर्फ पक्षकारों कि उपस्थिति एवं सहमति से ही हस्ताक्षर करवाकर पारित किया जा सकता है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने आदेश 14 व 20 नियम 5 सी.पी.सी के आज्ञापक प्रावधानों कि अवहेलना करते हुए बिना तनकी के अपना निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जबकि उन्हे स्पष्ट रूप से तनकियात निर्मित कर पृथक-पृथक तनकियात को तय करना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने वाद मात्र प्रतिवादी के जवाब के आधार पर राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज होने के आधार पर खारिज कर दिया, इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया कि वर्किंग जमाबंदी के खसरा संख्या 1410/2 रकबा 5-8-00 बीघा के वादीगण के पिता खातेदार दर्ज है जिनका नाम राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड से हटाया है जिसे दुरूस्त करना आवश्यक है फिर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण कि प्रक्रिया कि पालना नहीं कि है क्यों कि वाद में प्रतिवादी का जवाब पेश होने पर तनकी बनाई जाती है तथा दस्तावेज प्रदर्शित किए जाते है जिसके बाद साक्ष्य लेकन निर्णय एवं डिक्री पारित की जाती है इस प्रकार दस्तावेजों को बिना देखे ही अपने कारण रहित नॉन स्पीकिंग आदेश से वाद खारिज कर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में साक्ष्य पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा वादी द्वारा पेश दस्तावेजों पर भी कोई विवेचन नहीं किया है इस प्रकार पत्रावली एवं विधि विधान का परीक्षण किए बिना निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। एक रेकार्डेड खातेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता है तथा उसके हितों कि रक्षा कि जिम्मेदारी न्यायालय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

की है वादीगण को अपनी खातेदारी कि भूमि पर निर्बाध उपयोग उपभोग हेतु किसी भी जबरन कब्जा करने वाले को पाबंद किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद का कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया गया बल्कि खसरा मिलान से वाद के कथनों कि ताईद कि गई तथा विवादित भूमि का वादीगण के पिता कि खातेदारी में दर्ज होने पर कोई ऐतराज नहीं किया गया ऐसी स्थिति में वाद काबिल स्वीकार है जिसे खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 पारित कर दिया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 46/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम डोडियाना की विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 880/2060 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म चारागाह वर्तमान जमाबंदी में खाता संख्या 543 में चारागाह दर्ज है। अतः वादीगण को अनुतोष दिया जाना अनुचित है। वादीगण अपने कथनों के पक्ष में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं कर सके हैं अतः वादीगण जो अनुतोष चाहते है वह दिया नहीं जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपील जवाब/बहस में राजकीय अभिभाषक द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए उक्त कथनों पर अपनी सहमति प्रदान की व उनके द्वारा की गई बहस को विधि सम्मत मानते हुए अपनी सहमति प्रदान कर न्यायालय से अनुरोध किया कि अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा पत्रावली को नियत दिनांक 8.6.2016 से पूर्व दिनांक 2.6.2016 को वादीगण को बिना सुचित किए कोर्ट केम्प में नियत की गई, जिसमें प्रतिवादी/सरकार कि ओर से जवाब पेश किया गया तथा उसी दिवस को वादीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना एवं वादीगण की सहमती के बिना मात्र प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निर्णय पारित कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर तनकीयात कायम की जानी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट में प्रतिवादी के जवाब के आधार पर बिना तनकीयात कायम किए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी के आज्ञापक प्रावधानों कि अवहेलना करते हुए बिना तनकी के अपना निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जबकि उन्हे स्पष्ट रूप से तनकियात निर्मित कर पृथक–पृथक तनकियात को तय करना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी पीसांगन ने वादीगण का वाद मात्र प्रतिवादी के जवाब के आधार पर राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज होने के आधार पर खारिज कर दिया, इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया कि वर्किंग जमाबंदी के खसरा संख्या 1410/2 रकबा 5–8–00 बीघा के वादीगण के पिता खातेदार दर्ज है जिनका नाम राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड से हटाया है जिसे दुरूस्त करना

Scanned with CamScanner

आवश्यक है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण कि प्रक्रिया कि पालना नहीं कि है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में प्रतिवादी का जवाब पेश होने पर तनकी बनाई जाकार तथा दस्तावेज प्रदर्शित किए जाकर बाद साक्ष्य निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को बिना देखे, विधिक प्रक्रिया व विधिक प्रावधानों के विपरीत वाद खारिज कर निर्णय व डिक्री पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में दस्तावेजी साक्ष्यों पर कोई विवेचन नहीं किया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विधि विधान का परीक्षण किए बिना निर्णय एवं डिक्री पारित किया है, इसलिए अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है, व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 46/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उक्त प्रकरण में वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर तनकी कायम कर वाद से संबंधित साक्ष्य ले कर, तनकी व साक्ष्य के अनुसार प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित कर वाद का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner